न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–07 / 2016

वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–05.01.2016

निर्णय दिनांक:–12.07.2019

उनवान

1.लादु पुत्र काना जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)

2.रामनारायण पुत्र काना जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)

वादीगण

बनाम

1.रामदेव पुत्र काना जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
2.राजाराम पुत्र काना जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
3.उप पंजीयक अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)
4.तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,92–ए व 188 राज.टि.एक्ट 1955

एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02–श्री कमलेश गुर्जर

निर्णय दिनांक–12.07.2019

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वर्गीय काना के वारिसान हैं जिसका सजरा पैरा संख्या 01 में दर्शाया गया हैं। भूमि आराजी खसरा न0 440 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा वाकै ग्राम झिराना तहसील पीपलू पूर्व में नेहनूलाल पुत्र माधों व लादुलाल पुत्र काना के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज थी। सेटलमेंट बाद भूमि आराजी ख0न0 440 के तीन बट किये गये। 440/1 रकबा 05 बिस्वा 440/2 रकबा 03 बीघा व ख0न0 440/3 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा। ख0न0 440/1 रकबा 05 बिस्वा व ख0न0 440/3 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, खसरा नम्बर 440/2 रकबा 03 बीघा कल्याण पुत्र गौरू जाति बैरवा निवासी ग्राम झिराना के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई। राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात को कल्याण पुत्र गौरू के नाम अंकित करना गलत था। जबकि मौके पर आज भी वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त हैं। कल्याण पुत्र गौरू बैरवा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम झिराना में नहीं हैं। उसके हक में किया गया अंकन अवैध व शून्य हैं। कल्याण पुत्र गौरू के हक में खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने पर कुछ बैरवा जाति के व्यक्ति उसे गलत रूप से अपनी बताकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाना चाहते हैं। आराजी खसरा न0 440/2 रकबा 03 बीघा वाकै ग्राम झिराना में वादी एवं प्रतिवादीगण का ही हक अधिकार हैं। अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं हैं। जिसके लिए वादी ने उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रस्तुत कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं गलत रूप से दर्ज खातेदार कल्याण पुत्र गौरू जाति बैरवा का नाम विलोपित करने व प्रतिवादीगण 01 ता 02 को पाबंद किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार गुर्जर ने वकालतनामा व जवाब दावा प्रस्तुत किया।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी , पर्चा लगान, जमाबन्दी नकल संवत् 2039–2042 , नकल नामान्तकरण, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–2038, नकल मिसल बंदोबस्त संवत् 2028–2047, नकल खसरा बंदोस्त पेश की साथ ही मौखिक साक्ष्य में अपना ग वाह कजोड़ पुत्र बन्ना जाट, रतनलाल पुत्र लादुराम जाट का शपथ पत्र पेश किया। उभय पक्ष अधिवक्ता ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

हमने बहस अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण की सुनी। अधिवक्ता वादी ने बहस में बताया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वर्गीय काना के वारिसान हैं जिसका सजरा पैरा संख्या 01 में दर्शाया गया हैं। भूमि आराजी खसरा न0 440 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा वाकै ग्राम झिराना तहसील पीपलू पूर्व में नेहनूलाल पुत्र माधों व लादुलाल पुत्र काना के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज थी। सेटलमेंट बाद भूमि आराजी ख0न0 440 के तीन बट किये गये। 440/1 रकबा 05 बिस्वा 440/2 रकबा 03 बीघा व ख0न0 440/3 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा। ख0न0 440/1 रकबा 05 बिस्वा व ख0न0 440/3 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, खसरा नम्बर 440/2 रकबा 03 बीघा कल्याण पुत्र गौरू जाति बैरवा निवासी ग्राम झिराना के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई। राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात को कल्याण पुत्र गौरू के नाम अंकित करना गलत था। जबकि मौके पर आज भी वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त हैं। कल्याण पुत्र गौरू बैरवा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम झिराना में नहीं हैं। उसके हक में किया गया अंकन अवैध व शून्य हैं। कल्याण पुत्र गौरू के हक में खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने पर कुछ बैरवा जाति के व्यक्ति उसे गलत रूप से अपनी बताकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाना चाहते हैं। आराजी खसरा न0 440/2 रकबा 03 बीघा वाकै ग्राम झिराना में वादी एवं प्रतिवादीगण का ही हक अधिकार हैं। अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं हैं। जिसके लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर एवं गलत रूप से दर्ज खातेदार कल्याण पुत्र गौरू जाति बैरवा का नाम विलोपित किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रस्तुत राजीनामा एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजींरो का अवलोकन किया जिसके अनुसार वाद/वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि भूमि आराजी ख0न0 440/2 रकबा 03 बीघा वाकै ग्राम झिराना तहसील पीपलू का वादीगण संख्या 01 ता 02 व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं और राजस्व रिकॉर्ड में किये गये त्रुटीपूर्ण अंकन कल्याण पुत्र गौरू बैरवा के नाम को विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता हैं कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड को कायम करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू